रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225773
CG-DL-E-10032021-225773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

सा.का.नि.164(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1971; रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव श्रेणी) नियम, 1989 और रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रेणी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत्त होंगे;

ख) किसी श्रेणी के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से उस श्रेणी में नियुक्ति के लिए भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I के उपबंधों के अधीन सशक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

ग) किसी श्रेणी के संबंध में "अनुमोदित सेवा" से निम्नलिखित अभिप्रेत है ;

(i) उक्त श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में, उस वर्ष से, जब सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, अगले वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने श्रेणी में नियमित आधार पर तब पद धारित किए रहता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उस पद को धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

(ii) उक्त श्रेणी में सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में उक्त वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी, उक्त श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने श्रेणी में नियमित आधार पर तब पद धारित किए रहता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उस पद को धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

(iii) निम्नतर श्रेणी में सेवाकाल के आधार पर उक्त श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में, उक्त वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से, जिसके लिए भर्ती की गई थी, श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान वह श्रेणी में नियमित आधार पर तब पदधारित किए रहता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उस पद को धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

परंतु यह कि उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किन्हीं मामलों में, जहां नियुक्ति पर पद ग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलंब हो तो ऐसा विलंब उस अधिकारी की किसी त्रुटि के कारण नहीं होना चाहिए;

घ) सेवा की किसी श्रेणी के संबंध में "प्राधिकृत संख्या" उस श्रेणी में ड्यूटी पदों की वह संख्या अभिप्रेत है जो नियम 5 में, यथाविनिर्दिष्ट है ;

ङ) "संवर्ग" से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' श्रेणियों के पदों का समूह अभिप्रेत है ;

च) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी" से रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों के संबंध में, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से अभिप्रेत है;

छ) "संवर्ग अधिकारी" से किसी श्रेणी के संबंध में, रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा का सदस्य अभिप्रेत है;

ज) "आयोग" से यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है;

झ) "सीधी भर्ती हुए व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी भर्ती नियम 12 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई है;

ञ) सेवा की किसी श्रेणी के संबंध में "ड्यूटी पद" से कोई संवर्ग पद अभिप्रेत है जो सेवा के अधिकारियों ने नियमित आधार पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में धारित किया हुआ है;

ट) "चयन का क्षेत्र" उन पात्र अधिकारियों की सूची से अभिप्रेत है जिसमें से चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किया गया है;

ठ) "श्रेणी" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

ड) सेवा की किसी श्रेणी के संबंध में "सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा" से यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबंधित फीडर श्रेणी से उक्त श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

ढ) "परिवीक्षाधीन अधिकारी" से वह सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी नियमित रिक्ति के प्रति परिवीक्षा पर आशुलिपिक श्रेणी 'घ' अथवा वैयक्तिक सहायक अथवा प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया गया है;

ण) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है वह जातियाँ एवं समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है;

त) "पैनल और पैनल (भाग)" से नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में, भर्ती की पद्धति के लिए किसी चयन सूची वर्ष की रिक्तियों के लिए, विहित नियमों के अनुसार चयनित अधिकारियों की सूची अभिप्रेत है और अधिकारियों की इसी सूची को पैनल कहा जाएगा तथा यदि ऐसा चयन किसी चयन सूची वर्ष के लिए एक से अधिक बार किया जाता है तो प्रत्येक ऐसी सूची को पैनल (भाग) कहा जाएगा;

थ) "स्थायी अधिकारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका सेवा में पुष्टीकरण कर दिया गया है;

द) "भर्ती वर्ष" वही है जो चयन सूची वर्ष है;

ध) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित अधिकारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नियमित रिक्ति पर या तो सीधी भर्ती अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा या ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया गया है;

न) किसी चयन सूची वर्ष के लिए किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित रिक्ति" से भर्ती की किसी पद्धति के लिए, पूर्ववर्ती चयन सूची वर्षों की रिक्तियों को छोड़कर जिनके लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, पहली जुलाई को होने वाली वास्तविक रिक्तियां और चयन सूची वर्ष के दौरान उस श्रेणी में प्रोन्नतियों, सेवानिवृत्तियों, प्रतिनियुक्तियों और लंबी छुट्टी से उत्पन्न रिक्तियां अभिप्रेत हैं;

प) "अनुसूची" से इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

फ) नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में "चयन सूची" से नियम 9, नियम 10, नियम 11 और नियम 12 के अनुसरण में उक्त श्रेणी के लिए भर्ती की सभी पद्धतियों के लिए सुसंगत पैनलों या पैनल (भाग) का विलय करके तैयार की गई अफसरों की सूची अभिप्रेत है, परंतु यदि किसी चयन सूची वर्ष में, उस श्रेणी के लिए भर्ती की सभी पद्धतियों के लिए यदि पैनल उपलब्ध नहीं है तो रेल मंत्रालय द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, उपलब्ध पैनलों या पैनल (भाग) का विलय कर के चयन सूची (अनंतिम) तैयार की जा सकेगी;

ब) "चयन सूची वर्ष" से किसी वर्ष में 1 जुलाई से आरंभ होकर अगले वर्ष 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि से अभिप्रेत है;

भ) "ज्येष्ठता सूची" से किसी श्रेणी के संबंध में, किसी वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख को और विनियमों द्वारा यथाविहित पुनरीक्षित उक्त श्रेणी में सेवारत अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनियमित एवं संशोधित, से अभिप्रेत है;

म) "सेवा" से रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा अभिप्रेत है;

य) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ होंगे जो क्रमश: संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) द्वारा उन्हें नियत किया जाता है ;

3. सेवा की संरचना -

सेवा में छः श्रेणियाँ होंगी जिन्हें निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया गया है :-

क्र.स.	श्रेणी	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
(i)	प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा – समूह 'क', अनुसचिवीय,राजपत्रित
(ii)	ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा – समूह 'क', अनुसचिवीय, राजपत्रित
(iii)	प्रधान निजी सचिव	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा – समूह 'क', अनुसचिवीय, राजपत्रित
(iv)	निजी सचिव	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा – समूह 'ख', अनुसचिवीय, राजपत्रित
(v)	वैयक्तिक सहायक	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा – समूह 'ख', अनुसचिवीय, अराजपत्रित
(vi)	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा – समूह 'ग', अनुसचिवीय अराजपत्रित

4. **ज्येष्ठता सूची :** (1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक ज्येष्ठता सूची होगी। ◦

(2) सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए ज्येष्ठता सूची रेल मंत्रालय द्वारा विहित समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को तैयार की जाएगी।

(3) नियुक्ति दिन से पूर्व किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता उक्त तारीख़ से पूर्व यथा अवधारित उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा विनियमित की जाएगी:

परंतु यदि ऐसे किसी अधिकारी की ज्येष्ठता उक्त तारीख़ से पूर्व विशिष्टतया अवधारित नहीं की गई हो, तो यह रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड) द्वारा यथा अवधारित होंगी ।

(4) नियत दिन के पश्चात् किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उस क्रम द्वारा अवधारित की जाएगी जिसमें पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) की चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों से ज्येष्ठ होकर किसी चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों के साथ, उस श्रेणी के लिए उनके नाम चयन सूचियों में प्रकट होते हैं।

5. **सेवा की प्राधिकृत संवर्ग संख्या –** सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संवर्ग संख्या अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

6. **सेवा का गठन -** रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त सभी व्यक्ति और जिन्हें (यदि कोई हों) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रेणी) नियम, 2002; रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव श्रेणी) नियम, 1989 तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1971 के अनुसरण में, नियत दिन से ठीक पूर्व हुई नियमित रिक्ति के प्रति सेवा की संबंधित श्रेणी(श्रेणियों) में नियुक्त किया जाएगा तथा किसी ऐसी श्रेणी में धारित इन नियमों के अधीन संबंधित श्रेणी में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

7. **संवर्ग अधिकारियों की तैनाती -** प्रत्येक संवर्ग अधिकारी को, जब तक कि वह छुट्टी पर न हो या किसी ड्यूटी पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, संवर्ग में समुचित श्रेणी के ड्यूटी पद के प्रति तैनात होगा।

8. **सेवा के संवर्ग अधिकारियों द्वारा धारित किए जाने वाले ड्यूटी पद -** सेवा में प्रत्येक ड्यूटी पद समुचित श्रेणी के संवर्ग अधिकारी द्वारा धारित किया जाएगा।

9. **प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव श्रेणियों में नियुक्ति -** (1) प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी श्रेणी में नियमित रिक्तियाँ ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रेणी के नियमित अधिकारियों के चयन से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो;

(2) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रेणी में नियमित रिक्तियाँ प्रधान निजी सचिव श्रेणी के नियमित अधिकारियों के चयन से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो।

(3) प्रधान निजी सचिव श्रेणी में नियमित रिक्तियाँ निजी सचिव श्रेणी के नियमित अधिकारियों के चयन से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम छः वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो।

(4) उपनियम (1), (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव की चयन सूची तैयार की जाएगी और उसे प्रत्येक वर्ष प्रकाशित कराया जाएगा। प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव की चयन सूची तैयार और संशोधित करने की प्रक्रिया रेल मंत्रालय द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगी:

परंतु प्रधान निजी सचिव की चयन सूची आयोग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(5) प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी या ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव या प्रधान निजी सचिव की श्रेणी में नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें अधिकारियों के नाम पैनलों या पैनल (भाग) में प्रकट होते हैं;

10. **निजी सचिव श्रेणी में भर्ती -** (1) निजी सचिव श्रेणी में नियमित रिक्तियों की 66.67 प्रतिशत रिक्तियाँ ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति (ज्येष्ठता कोटा) द्वारा भरी जाएंगी और 33.33 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी:

परंतु यदि अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या किसी भर्ती वर्ष में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा या ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो नहीं भरी गई रिक्तियाँ अग्रसरित की जाएंगी तथा अगले भर्ती वर्ष के लिए नियमित रिक्तियों की संख्या में जोड़ दी जाएंगी।

दृष्टांत :

क	चयन सूची वर्ष 'क' के लिए श्रेणी में रिक्तियों की कुल संख्या	100
ख	ज्येष्ठता कोटा के लिए निश्चित की गई रिक्तियां (66.67%)	67
ग	सी.वि.प्र.प. कोटा के लिए निश्चित की गई रिक्तियां (33.33%)	33
घ	सी.वि.प्र.प. के माध्यम से उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	20
ङ	ज्येष्ठता कोटा के माध्यम से भरी गई रिक्तियों की संख्या	67
च	चयन सूची 'क' की अग्रसरित रिक्तियां	13
छ	चयन सूची वर्ष 'ख' के लिए श्रेणी में रिक्तियों की कुल संख्या	37
ज	चयन सूची वर्ष 'ख' के लिए कुल रिक्तियां (पिछले वर्ष की 37+13 अग्रसरित रिक्तियों समेत))	50
झ	ज्येष्ठता कोटा के लिए निश्चित की गई रिक्तियां (66.67%)	34
ञ	सी.वि.प्र.प. कोटा के लिए निश्चित की गई रिक्तियां (33.33%)	16

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, ज्येष्ठता कोटा पैनल या पैनल(भाग) चयन समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया जाएगा और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पैनल या पैनल (भाग) रेल मंत्रालय द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित विनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार आयोग की सिफारिश के आधार पर तैयार किया जाएगा;

(3) ज्येष्ठता कोटा के आधार पर भरी जाने वाली निजी सचिव की श्रेणी में रिक्त पदों पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें अधिकारियों के नाम पैनल या पैनल (भाग) में दिए गए हैं;

(4) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली निजी सचिव की श्रेणी में रिक्त पदों पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें अधिकारियों के नाम सुसंगत पैनलों या पैनल (भाग) में दिए गए हैं।

11. **वैयक्तिक सहायक की श्रेणी में भर्ती -** (1) वैयक्तिक सहायक की नियमित रिक्तियां 50 प्रतिशत प्रोन्नति (ज्येष्ठता कोटा) और 50 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी :

परंतु यदि अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या किसी भर्ती वर्ष में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा या ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो नहीं भरी गई रिक्तियाँ अग्रसरित की जाएंगी तथा अगले भर्ती वर्ष के लिए नियमित रिक्तियों की संख्या में जोड़ दी जाएंगी।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, ज्येष्ठता कोटा पैनल या पैनल(भाग) चयन समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया जाएगा और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पैनल या पैनल (भाग) रेल मंत्रालय द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित विनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार आयोग की सिफारिश के आधार पर तैयार किया जाएगा;

(3) ज्येष्ठता कोटा के आधार पर भरी जाने वाली निजी सहायक की श्रेणी में रिक्त पदों पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें अधिकारियों के नाम सुसंगत पैनल या पैनल (भाग) में दिए गए हैं।

(4) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली निजी सहायक की श्रेणी में रिक्त पदों पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें अधिकारियों के नाम सुसंगत पैनलों या पैनल (भाग) में दिए गए हैं।

12. **आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की भर्ती -** (1) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की सेवा में नियमित रिक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में तैयार किए गए और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होंगे।

13. **परिवीक्षा -** (1) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पद पर सीधे भर्ती हुआ प्रत्येक अधिकारी आरंभ में नियुक्ति की तारीख़ से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(2) वैयक्तिक सहायक या प्रधान निजी सचिव श्रेणी में सीधे भर्ती हुआ प्रत्येक अधिकारी नियुक्ति की तारीख़ से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(3) उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी ठीक समझे, किसी मामले में बढ़ाई जाएगी, परंतु परिवीक्षा के विस्तार की कुल अवधि, जहाँ अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय या विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं, के सिवाय, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) परिवीक्षा के दौरान सेवा के किसी सदस्य से ऐसे प्रशिक्षण और ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो केंद्रीय सरकार का रेल मंत्रालय समय-समय पर विहित करे।

14. **पुष्टिकरण-** (1) जब किसी आशुलिपिक श्रेणी 'घ' ने विहित परीक्षा और प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है और नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर ली है, वह उस श्रेणी में पुष्टिकरण के लिए अर्हक होगा वह परिवीक्षाधीन बना रहेगा जब तक कि वह इस नियम के अधीन पुष्ट नहीं हो जाता या नियम 16 के अधीन सेवोनमुक्त या प्रतिवर्तित नहीं कर दिया जाता।

(2) सभी रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा अधिकारियों का पुष्टिकरण सेवा में प्रवेश स्तर पर केवल एक बार किया जाएगा।

15. **प्रधान निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक की परिवीक्षा या प्रतिवर्तन पूर्ण होना –**

(1) परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, के पूर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारी के निष्पादन का निर्धारण करेगा; और

(क) परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने ; या

(ख) नियम (13) के उपनियम (3) के अधीन परिवीक्षा अवधि के और विस्तार ; या

(ग) अधिकारी के निम्न श्रेणी में प्रतिवर्तन, जिससे उसे प्रोन्नत किया गया था, की घोषणा करेगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अधिकारी को परिवीक्षा या निरंतर परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय निम्न श्रेणी में प्रतिवर्तित किया जा सकेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गए निर्धारण के अनुसार वह उस श्रेणी में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता/समझी जाती है।

16. **सेवोन्मुक्ति -** (1) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में नियुक्त कोई अधिकारी जिसका केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं है, परिवीक्षा के दौरान किसी भी समय सूचना दिए बिना सेवोनमुक्त की जाने का दायी होगा, यदि

(i) परिवीक्षा के दौरान उसके निष्पादन या आचरण के आधार पर उसे सेवा में और बने रहने से अयोग्य समझा जाता है; या

(ii) उसकी राष्ट्रीयता, आयु, स्वास्थ्य या पूर्ववृत्त से संबंधित किसी सूचना की प्राप्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह सेवा का/की सदस्य बने रहने के लिए अनर्हक या अन्यथा अयोग्य है।

(2) सेवा की आशुलिपिक श्रेणी 'घ में नियुक्त कोई अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का धारणाधिकार रखता है, परिवीक्षा के दौरान उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी समय ऐसे पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) सेवा की आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में नियुक्त कोई अधिकारी जो उस श्रेणी में पुष्टिकरण या बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, नियम 13 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर या उस नियम के उपनियम (3) के अधीन परिवीक्षा की विस्तारित अवधि पर, यदि कोई हो, यथास्थिति इस नियम के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अनुसार सेवोनमुक्त या प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

17. **वेतन -** सेवा की विभिन्न श्रेणियों से संलग्न वेतन के स्तर अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

18. **वेतन का विनियमन -** (1) विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन एवं वेतनवृद्धियां भारतीय रेल स्थापना संहिता में विहित नियमों अथवा उस समय वेतन के संबंध में लागू अन्य समान नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

(2) किसी श्रेणी में परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन, उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान के अनुरूप परिवीक्षा का प्रत्येक वर्ष पूरा करने और विहित की गई परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर समय वेतनमान में एक प्रक्रम बढ़ाया जाएगा।

19. विनियमन- रेल मंत्रालय में केंद्र सरकार इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन हैं, इन नियमों से संगत विनियम बनाए जा सकेंगे।

20. अवशिष्ट मामले – ऐसे मामलों के संबंध में जो इन नियमों या अनुसूचियों या जारी किए गए आदेशों या विशेष आदेशों में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं है, सेवा के सदस्य सामान्यत: रेल सेवा के लिए लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

21. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड) में केंद्र सरकार के मत में यह आवश्यक या समीचीन हो तो आयोग के परामर्श से, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, व्यक्तियों के वर्ग या प्रवर्ग के लिए इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी।

22. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण और अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निर्वचन** – जहां इन नियमों या इनके अधीन बनाए गए विनियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वह मामला रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

अनुसूची- I

[नियम 5 और 17 देखें]

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या और पे मैट्रिक्स में वेतन का स्तर

क्र.सं.	श्रेणी और पे मैट्रिक्स में स्तर	स्वीकृत संख्या
(1)	(2)	(3)
(i)	प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (1,23,100-2,15,900/- रु.)	20*
(ii)	ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200/-रु.)	
(iii)	प्रधान निजी सचिव वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11(67700-208700/-रु.)	83
(iv)	निजी सचिव वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600-1,51,100/रु.) टिप्पण : किसी श्रेणी में 4 वर्ष पूरे होने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500/-रु.) में अकृत्यिक वेतन	215
(v)	वैयक्तिक सहायक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7(44900-142400/-रु.)	125
(vi)	आशुलिपिक श्रेणी 'घ' वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4(25500-81100/-रु.)	68
	कुल	511

***** प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी और ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव की संयुक्त संख्या 20 कर दी गई है।

टिप्पण 1: नए पदों के उत्सादन या सृजन/संवर्ग की पुन: संरचना आदि पर निर्भर करते हुए स्वीकृत संख्या परिवर्तित हो सकती है।

टिप्पण 2: वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 में अकृत्यिक वेतनमान नियमित निजी सचिवों को उसी श्रेणी में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर लेने के बाद अनुज्ञेय होगा। निजी सचिव जिन्हें अकृत्यिक वेतनमान दिया गया है, वे समूह 'ख' (राजपत्रित) में ही रहेंगे और सेवा की प्रधान निजी सचिव श्रेणी में उनकी प्रोन्नति के लिए पात्रता को निजी सचिव के दोनों मानों में की गई सेवा की अवधियों की एक साथ गणना के आधार पर माना जाएगा।

[फा. सं. ईआरबी-I/2013/11/4]

एस. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (राज.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

G.S.R. 164(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Rules, 1971; the Railway Board Secretariat Stenographers' Service (Private Secretary Grade) Rules, 1989 and the Ministry of Railways, Railway Board Secretariat Stenographers' Service, Senior Principal Private Secretary grade, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts borne on the Railway Board Secretariat Stenographers' Service, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "appointed day" means the date on which these rules shall come into force;

(b) "appointing authority", in relation to a grade means the authority empowered under the provisions of the Indian Railway Establishment Code Volume I, to make appointments to that grade;

(c) "approved service", in relation to any grade, means –

(i) in respect of an officer recruited directly to that grade, the period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on a regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the 1st day of July of the year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;

(ii) in respect of an officer recruited to that grade through Limited Departmental Competitive Examination, period or periods of regular service rendered in that grade including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the 1st day of July of the year for vacancies of which such examination was held;

(iii) in respect of an officer appointed to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the 1st day of July of the year for which the recruitment was made:

Provided that where there is a delay of more than ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in sub-clauses (i), (ii) and (iii), such delay should not be due to any fault on the part of the officer;

(d) "authorised strength", in relation to any grade of the Service means the strength of duty posts in that grade, as specified in rule 5;

(e) "cadre" means the group of posts in the grades of Principal Staff Officer, Senior Principal Private Secretary, Principal Private Secretary, Private Secretary, Personal Assistant and Stenographer Grade 'D' in Ministry of Railways (Railway Board);

(f) "cadre controlling authority", in relation to officers appointed to any grade of Railway Board Secretariat Stenographers' Service means the Ministry of Railways (Railway Board);

(g) "cadre officer" in relation to any grade means a member of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service;

(h) “Commission” means the Union Public Service Commission or the Staff Selection Commission, as the case may be;

(i) “direct recruit” means a person recruited on the basis of competitive examination, other than a departmental competitive examination, conducted by the Staff Selection Commission in accordance with the procedure laid down in rule 12;

(j) “duty post” in relation to any grade of the Service means a cadre post held by officers of the Service on a regular basis in Ministry of Railways(Railway Board);

(k) “Field of Selection" means the list of eligible officers from which a selection will be made for inclusion in the Select List;

(l) “grade" means any of the grades specified in rule 3;

(m) “Limited Departmental Competitive Examination”, in respect of any grade of the Service, means a competitive examination held by the Union Public Service Commission or the Staff Selection Commission, as the case may be, to select candidates for that grade from amongst the respective feeder grades;

(n) “officer on probation” means a direct recruit Stenographer Grade ‘D’, or a Personal Assistant or a Principal Private Secretary appointed on probation against a regular vacancy;

(o) “Other Backward Classes” means the castes and communities notified as Other Backward Classes by the Government of India from time to time;

(p) “panel and panel (part)” in relation to various grades of the Service, as specified in rule 3, means a list of officers, selected as per prescribed rules, for vacancies of a select list year for a mode of recruitment and such list of officers will be called a panel and if such selection is made more than once for a select list year then each such list shall be called panel (part);

(q) “permanent officer” means a person who has been confirmed in the entry grade;

(r) “recruitment year” is the same as select list year;

(s) “regular officer” in relation to any grade, means a person who has been appointed against a regular vacancy either through direct recruitment or through Limited Departmental Competitive Examination or through promotion on the basis of seniority;

(t) “regular vacancy” in relation to a grade for a select list year means actual vacancies in that grade as on the 1^{st} July, excluding the vacancies of previous select list years for any mode of recruitment for which selection process is not complete, plus anticipated vacancies in that grade due to promotions, retirements, deputations and long leave during the select list year;

(u) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;

(v) “Select List” in relation to various grades of the Service, as specified in rule 3, means a list of officers prepared by merging the relevant panels or panels (part) for all modes of recruitment for that grade in accordance with rules 9, 10, 11 and 12, provided that, if panels are not available for all modes of recruitment for that grade, in a select list year, a select list (provisional) may be prepared by merging the available panels or panels (part), as per the procedure laid down in the Regulations issued by the Ministry of Railways and amended from time to time;

(w) “select list year” means period from the 1^{st} July of the year to the 30^{th} June of the following year;

(x) “seniority list” in relation to any grade means the seniority list of officers working in that grade as on the 1^{st} day of July of any year and revised, shall be as determined by Regulations issued by the Ministry of Railways and amended from time to time;

(y) "Service" means the Railway Board Secretariat Stenographers’ Service;

(z) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25), respectively of Article 366 of the Constitution;

3. Composition of the Service.-

There shall be six grades in the Service, which are classified as follows:-

S.No.	Grade	Classification
(1)	(2)	(3)
(i)	Principal Staff Officer	Railway Board Secretariat Stenographers' Service – Group 'A', Ministerial, Gazetted
(ii)	Senior Principal Private Secretary	Railway Board Secretariat Stenographers' Service – Group 'A', Ministerial, Gazetted
(iii)	Principal Private Secretary	Railway Board Secretariat Stenographers' Service – Group 'A', Ministerial, Gazetted
(iv)	Private Secretary	Railway Board Secretariat Stenographers' Service – Group 'B', Ministerial, Gazetted
(v)	Personal Assistant	Railway Board Secretariat Stenographers' Service – Group 'B', Ministerial, Non-Gazetted
(vi)	Stenographer Grade 'D'	Railway Board Secretariat Stenographers' Service – Group 'C', Ministerial, Non-Gazetted.

4. **Seniority List.-** (1) There shall be a seniority list for each grade of the Service specified in rule 3.

(2) The seniority list for each grade of the Service shall be prepared as on the 1st July of every year as per the procedure prescribed by the Ministry of Railways and amended from time to time.

(3) The relative seniority of members of the Service appointed to any grade before the appointed day shall be regulated by their relative seniority as determined before the said date:

Provided that, if the seniority of any such officer had not been specifically determined before the said date, it shall be as determined by the Ministry of Railways (Railway Board).

(4) The seniority of persons appointed to any grade after the appointed day shall be determined by the order in which their names appear in the select lists for that grade, with officers included in select list of any year being senior to officers included in the select list of subsequent year (s).

5. **Authorised cadre strength of the Service**.- The authorised cadre strength of the various grades of the Service shall be as specified in Schedule-I.

6. **Constitution of the Service**.- All persons appointed to each grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service and who (if any) would be appointed to the respective grade (s) of the Service against regular vacancy occurred immediately before the appointed day, in accordance with the Railway Board Secretariat Stenographers' Service (Senior Principal Private Secretary) Rules, 2002; the Railway Board Secretariat Stenographers' Service (Private Secretary Grade) Rules, 1989 and the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Rules, 1971, and borne on any such grade shall be deemed to have been appointed in the respective grade under these rules.

7. **Posting of cadre officers**.- Every cadre officer shall unless he is on leave or otherwise not available for holding a duty post, be posted against a duty post of the appropriate grade in the Cadre.

8. **Duty posts to be held by cadre officers of the Service**.- Every duty post in the Service shall be held by a cadre officer of appropriate grade.

9. **Appointment to Principal Staff Officer, Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary Grades**.-

(1) Regular vacancies in the Principal Staff Officer Grade shall be filled by promotion through selection of regular officers of the Senior Principal Private Secretary Grade who have rendered not less than five years of approved service in that grade;

(2) Regular vacancies in the Senior Principal Private Secretary grade shall be filled by promotion through selection of regular officers of the Principal Private Secretary grade who have rendered not less than five years approved service in that grade;

(3) Regular vacancies in the Principal Private Secretary grade shall be filled by promotion through selection of regular officers of the Private Secretary Grade who have rendered not less than six years approved service in that grade;

(4) For the purposes of sub-rules (1), (2) and (3) a Select List for the Principal Staff Officer, Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary, shall be prepared and published annually. The procedure for preparing and revising the Select Lists for the Principal Staff Officer, Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary shall be as provided in the Regulations issued by the Ministry of Railways and amended from time to time:

Provided that the Select List for Principal Private Secretary Grade shall be prepared in consultation with the Commission.

(5) Appointment to the grade of the Principal Staff Officer or Senior Principal Private Secretary or Principal Private Secretary shall be made by the competent authority in the order in which the names of the officer appear in the panels or panel (part);

10. **Recruitment to Private Secretary grade**.- (1) 66.67 percent of the regular vacancies in the grade of Private Secretary shall be filled by promotion (seniority quota) on seniority basis and 33.33 percent through Limited Departmental Competitive Examination:

Provided that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in any recruitment year, either by Limited Departmental Competitive Examination or by promotion on the basis of seniority, the unfilled vacancies shall be carried forward and added to the number of regular vacancies for the next recruitment year.

Illustration:

a	Total No. of vacancies in the Grade for a Select List Year ‘A'	100
b	Vacancies earmarked for Seniority Quota (66.67%)	67
c	Vacancies earmarked for LDCE Quota (33.33%)	33
d	No. of candidates available through LDCE	20
e	No. of vacancies filled through SQ	67
f	Carried forward vacancies of SL ‘A’	13
g	Total No. of vacancies in the Grade for Select List year ‘B’	37
h	Total vacancies for Select List year ‘B’ (including 37+13 carry forward vacancies of previous year)	50
i	Vacancies earmarked for Seniority quota (66.67%)	34
j	Vacancies earmarked for LDCE Quota (33.33%)	16

(2) For the purposes of sub-rule (1), seniority quota panel or panel (part) shall be prepared on the recommendation of the Selection Committee and Limited Departmental Competitive Examination panel or panel (part) shall be prepared on the basis of the recommendation of the Commission as per procedure prescribed in the Regulations issued by the Ministry of Railways (Railway Board) and amended from time to time;

(3) Appointment to the vacancies in the grade of Private Secretary to be filled through seniority quota shall be made by the competent authority in the order in which the names of officers appear in the panel or panel (part);

(4) Appointment to the vacancies in the grade of Private Secretary to be filled through Limited Departmental Competitive Examination shall be made by the competent authority in order in which the names of officers appear in the relevant panel or panel (part);

11. Recruitment to Personal Assistant Grade.- (1) The regular vacancies in the grade of Personal Assistant shall be filled 50 per cent by promotion (seniority quota) and 50 per cent through Limited Departmental Competitive Examination:

Provided that, if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in any recruitment year, either by Limited Departmental Competitive Examination or by promotion on the basis of seniority, the unfilled vacancies shall be carried forward and added to the number of regular vacancies for the next recruitment year.

(2) For the purposes of sub-rule (1), seniority quota panel or panel (part) shall be prepared on the recommendation of the Selection Committee and Limited Departmental Competitive Examination panel or panel (part) shall be prepared on the basis of the recommendation of the Commission as per procedure prescribed by Regulations issued by the Ministry of Railways and amended from time to time.

(3) Appointment to the vacancies in the grade of Personal Assistant to be filled through seniority quota shall be made by the competent authority in the order in which the names of officers appear in the panel or panel (part).

(4) Appointment to the vacancies in the grade of Personal Assistant to be filled through Limited Departmental Competitive Examination shall be made by the competent authority in the order in which the names of officers appear in the panel or panel (part).

12 Recruitment to Stenographer Grade 'D'.- (1) Regular vacancies in Stenographer Grade 'D' of the Service shall be filled by direct recruitment on the basis of competitive examination conducted for the purpose by the Staff Selection Commission.

(2) The rules for the competitive examination referred to in sub-rule (1) shall be as determined by Regulation made by the Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board) and amended from time to time.

13. Probation.- (1) Every officer directly recruited to the Stenographer Grade 'D', shall initially be on probation for a period of two years from the date of appointment.

(2) Every officer appointed to Personal Assistant or Principal Private Secretary grade shall be on probation for a period of one year from the date of appointment.

(3) The period of probation specified in sub-rules (1) and (2), if the appointing authority deems fit, shall be extended in any case, but the total period of extension of probation shall not, save where it is necessary by reason of any Departmental or legal proceedings pending against the officers, exceed one year.

(4) During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and pass such tests as the Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board) may prescribe from time to time.

14. Confirmation.- (1) When a Stenographer Grade 'D' has passed the prescribed test and training and completed his probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible for confirmation in that grade. He shall continue to be on probation until he is confirmed under this rule or is discharged or reverted under rule 16.

(2) Confirmations of all Railway Board Secretariat Stenographers' Service Officers shall be made only once at the entry level into the Service.

15. Completion of probation or reversion of Principal Private Secretary/Personal Assistant.-

(1) Upon completion of the probation period or extended probation period, if any, the appointing authority shall assess the performance of the officer, as per prescribed procedure and shall declare either –

(a) successful completion of probation; or

(b) extension of the probation period further under sub-rule (3) of rule 13; or

(c) reversion of the officer to lower grade from which he was promoted.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), an officer may be reverted to lower grade any time during the probation or continued probation period, if he is not considered suitable for continuance in that grade, upon assessment made by the appointing authority.

16. **Discharge**.- (1) An officer appointed to Stenographer Grade 'D' of the Service who has no lien on any post under the Central Government or any State Government shall, while on probation, be liable to be discharged from the Service at any time without notice, if

(i) on the basis of his performance or conduct during probation, he is considered unfit for further retention in the service; or

(ii) on the receipt of any information relating to his nationality, age, health or antecedents, the appointing authority is satisfied that he is ineligible or otherwise unfit for being a member of the Service.

(2) An officer appointed to Stenographer Grade 'D' of the Service who holds a lien on a post under the Central Government or any State Government may, while on probation, be reverted to such post at any time in any of the circumstances specified in sub-rule (1).

(3) An officer appointed to Stenographer Grade 'D' of the Service who is not considered suitable for confirmation or continuance in the grade, during or at the end of the period of probation specified in sub-rule (1) of rule 13 or at the end of the extended period of probation, if any, under sub-rule (3) of that rule, shall be discharged or reverted in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2) of this rule, as the case may be.

17. **Pay**.- The levels of pay attached to the various grades of the Service shall be as specified in Schedule-I.

18. **Regulation of Pay**.- (1) The pay and increments of officers of various grades shall be regulated in accordance with rules contained in the Indian Railway Establishment Code or other similar rules relating to pay for the time being in force.

(2) The pay of an officer appointed to a grade on probation may, on his completing each year of probation to the satisfaction of the appointing authority and passing the prescribed tests, be raised by one stage in the time scale.

19. **Regulations**.- The Central Government in the Ministry of Railways may make regulations, not in consistent with these rules, to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules.

20. **Residuary matters**.- In regard to matters not specifically covered by these rules or by schedules or orders made or issued there under or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Railway Services in general.

21. **Power to relax**.- Where the Central Government in the Ministry of Railways(Railway Board) is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in consultation with the Commission, in respect of any class or category of persons.

22. **Savings**.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

23. **Interpretation**.- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules and regulations made there under, the same shall be decided by the Central Government in the Ministry of Railways(Railway Board), whose decision thereon shall be final.

Schedule – I

[See rules 5 and 17]

Authorized strength of the various grades of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) and level of Pay in the Pay Matrix

S.No.	Grade and Level in the Pay Matrix	Sanctioned Strength
(1)	(2)	(3)
(i)	Principal Staff Officer **LEVEL 13 in the PAY MATRIX (Rs. 1,23,100 - 2,15,900)**	20*
(ii)	Senior Principal Private Secretary **LEVEL 12 in the PAY MATRIX (Rs. 78,800 - 2,09,200)**	
(iii)	Principal Private Secretary **LEVEL 11 in the PAY MATRIX (Rs. 67,700 - 2,08,700)**	83
(iv)	Private Secretary **LEVEL 8 in the PAY MATRIX (Rs. 47,600 - 1,51,100)** **Note: Non functional Pay in LEVEL 10 in the PAY MATRIX (Rs. 56,100 - 1,77,500) on completion of 4 years of approved service in that grade.**	215
(v)	Personal Assistant **LEVEL 7 in the PAY MATRIX (Rs. 44,900 - 1,42,400)**	125
(vi)	Stenographer Grade 'D' **LEVEL 4 in the PAY MATRIX (Rs. 25,500 - 81,100)**	68
	Total	**511**

*The combined strength of the Principal Staff Officer and Senior Principal Private Secretary has been taken to be 20.

Note 1: The sanctioned strength may change upon abolition or creation of new posts/cadre restructuring etc.

Note 2: The non-functional pay scale in level 10 in the pay matrix shall be admissible to the regular Private Secretaries of the service on completion of four years of approved service in that grade. The Private Secretaries who are granted the non-functional pay scale would continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to Principal Private Secretary grade of the service shall be reckoned on the basis of total period spent in both the scales of Private Secretary, counted together.

[F. No. ERB-I/2013/11/4]

S. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Gaz.),

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.10 22:00:03 +05'30'